



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 262 राँची, सोमवार,

6 जून, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

14 फरवरी, 2022

सं० सं०-4/स.भू. राँची (कैन्सर केयर यू०)-114/17-447/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-19.01.2022 में मद संख्या-24 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०-2051, दिनांक-10.06.19 द्वारा राँची जिलांतर्गत कांके अंचल के मौजा-कदमा के थाना सं०-155, खाता सं०-55, प्लॉट संख्या-580 का कुल रकबा-23.50 एकड़ रिनपास परिसर में टाटा ट्रस्ट के साथ पी०पी०पी० के अन्तर्गत कैन्सर केयर सेन्टर की स्थापना हेतु एस०पी०भी०-1 के साथ लीज बंदोबस्त गैरमजरूआ खास भूमि के नक्शा में संशोधन के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

पूर्व में स्वीकृत नक्शा की चौहदी उ०-प्लॉट नं०-578 ई०, द०-रास्ता, पू०-प्लॉट नं०-553 एवं रास्ता, प०-प्लॉट नं०-585, 587, 588 थी तथा वर्तमान में संशोधित नक्शा की चौहदी उ०-सीमा, द०-रास्ता, पू०-रास्ता, प०-CCL है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कैथरिन किस्पोट्टा,
सरकार के अपर सचिव ।
